न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./71/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/121

1. **जगदीश पुत्र रामनाथ जाति साधु निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर राजस्थान**
2. **शान्ति पत्नि रामनाथ जाति साधु निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर राजस्थान**

प्रार्थीगण

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील–भिनाय जिला–अजमेर।**

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–06.06.2025

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री राहुल आचार्य
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा एकलसिंघा पटवार क्षेत्र एकलसिंघा भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंघा के खाता सं0 654 में दर्ज खसरा सं. 2746 रकबा 0.16, खसरा सं. 2753 रकबा 0.12, खसरा सं. 2791 रकबा 0.24, खसरा सं. 2794 रकबा 0.10, खसरा सं. 2884 रकबा 0.36, खसरा सं. 442 रकबा 0.20, खसरा सं. 457 रकबा 0.15, खसरा सं. 458 रकबा 0.48, खसरा सं. 459 रकबा 0.21 कुल किता 09 कुल रकबा 2.02 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब देते हुए, मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजीयात खातेदारी बताते हुए, पत्रावली आदेशिका पर टिप्पणी अंकित की गई कि, प्रार्थी द्वारा पड़ोसियों से सीमा का लेकर विवाद होना बताया गया है। अतः प्रकरण में पड़ौसियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए, कथन किये गये कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है जिसमें प्रार्थी का कब्जा काश्त बताते हुए, प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। दौराने बहस पैरोकार संरकार द्वारा जवाब अनुसार कथन दौहराये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम एकलसिंघा के खाता संख्या 654 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा एकलसिंघा पटवार क्षेत्र एकलसिंघा भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंघा के खाता सं0 654 में दर्ज खसरा सं. 2746 रकबा 0.16, खसरा सं. 2753 रकबा 0.12, खसरा सं. 2791 रकबा 0.24, खसरा सं. 2794 रकबा 0.10, खसरा सं. 2884 रकबा 0.36, खसरा सं. 442 रकबा 0.20, खसरा सं. 457 रकबा 0.15, खसरा सं. 458 रकबा 0.48, खसरा सं. 459 रकबा 0.21 कुल किता 09 कुल रकबा 2.02 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार भिनाय को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)